ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

10/1/22

बकुलाराम आदि

प्रार्थी की तरफ से वकील श्री हरिसिंह आचार्य ने बहसमाप्त पेश किया। अनावेदक सं. 01 की तरफ से वकील श्री हरफूल राम ने बहसमाप्त पेश किया। वकील अनावेदी सं. 01 ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाद सं. 280/2017 का निर्णय नीचे के न्यायालय से हो रहा है। वाद के फैसल हो जाने के बाद T.I. का प्रार्थना पत्र आज तक विचाराधीन है जो विधि विरुद्ध व न्याय के सामान्य सिद्धान्त के विपरीत है। T.I. वाद पत्र का ही भाग होता है। अतः उक्त T.I. के प्रार्थना पत्र को खारिज फरमावें। वकील अनावेदी ने निर्णय की प्रति पेश की।

बकुलाराम के सुना गया। केस फाइल का अवलोकन किया। सभी उनवान का एक वाद शर्त में निर्णीत हो चुका है। वाद निर्णीत होने से वाद प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:10:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner